



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 529 राँची, बुधवार,

14 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

26 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-16/2023-26458 (HRMS)--श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-458(9)/रा०, दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-176(A)/स्था०, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अवैध तरीके से नामांतरण करने एवं भूमि सुधार न्यायालय, चक्रधरपुर द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

2. पुनः उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-102, दिनांक 31.08.2023 द्वारा श्री महतो को उनके पत्रांक-176(A), दिनांक 26.12.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर निलंबन की अनुशंसा की गई है ।

3. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-24891, दिनांक 07.11.2023 द्वारा श्री महतो को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-आयुक्त का कार्यालय, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा निर्धारित किया गया ।

4. श्री महतो द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु विभाग में आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के कार्यावधि में प्रतिवेदित आरोपों के लिए अधिसूचना सं0-24891, दिनांक 07.11.2023 द्वारा निलंबित कर दिया गया है। दिनांक 30.11.2023 को उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें बड़े आपरेशन से गुजरना पड़ा। बिमारी के ईलाज में अत्यधिक व्यय होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी है, जिस कारण वे अपने बच्चों का स्कूल फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं।

5. श्री महतो से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ii) श्री महतो के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAL KISHORE MAHTO (JHK/JAS/217)	DIV COMMISSIONER OFFICE KOLHAN	DIVISIONAL COMMISSIONER KOLHAN CHAIBASA (WEST SINGHBUM)	Under Suspension	श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	23/07/2024	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
